अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

संख्या– 1058/60–1–2012

प्रेषक,

श्री सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग– 1 लखनऊ : दिनांक : 09 अप्रैल, 2012

विषय–महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित गृहों में आवासित शिशुओं/बालकों/बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा संस्था के संचालन पर निगरानी हेतु कार्यवाही से सम्बन्धित।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय बाल गृह (शिशु), इलाहाबाद में बालिकाओं के साथ कर्मचारी द्वारा दुराचार करने जैसी घृणित घटना को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गम्भीरता से लिया गया है। अतः प्रदेश की संस्थाओं के संचालन पर निगरानी हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा उसका निरन्तर अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जाये।

1. शिशुओं एवं महिलाओं से सम्बन्धित संस्थाओं में पुरूष कर्मचारियों के संस्था में प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाता है।
2. संवासियों के आवासीय परिसर में तालाबंद शिकायत पेटिका, कागज एवं कलम रखी जाय, जिसमें बालक/बालिका/महिलायें गोपनीय रूप से अपनी शिकायत लिख कर डाल सकें। शिकायत पेटिका की एक चाभी जनपद की निरीक्षण, मूल्यांकन एवं परामर्शदात्री समिति में जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट के पास तथा एक चाभी जिला परिवीक्षा अधिकारी के पास रहेगी, जो समय–समय पर निरीक्षण के दौरान खोलकर बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं एवं शिकायतों का परीक्षण कर मौके पर निदान करेंगी तथा गम्भीर शिकायतों के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 को सूचित करेंगी।
3. प्रत्येक संस्था में स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, भोजन व्यवस्था, बच्चों के साथ कर्मचारियों का व्यवहार, बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं एवं अनुरोध के सम्बन्ध में संवासी एवं कर्मचारियों के मध्य संयुक्त परामर्श/शिकायत निगरानी प्रकोष्ठ का गठन करवाया जाए, जिसमें बच्चों की सहभागिता बराबर की होगी। संस्थाध्यक्ष

की अध्यक्षता में उक्त प्रकोष्ठ की सप्ताह में दो बार संस्था परिसर में ही बैठक कर संवासियों/संवासियों की समस्याओं का निराकरण करवाया जाएगा। प्रत्येक संवासी/संवासिनी की पर्सनल प्रोफाईल तैयार करवायी जाएगी।

4. संस्थाध्यक्ष का संस्था में ही अनिवार्य रूप से निवास करना सुनिश्चित कराया जाय।

5. संस्थाध्यक्ष एवं संस्था के अन्य कर्मचारियों का संस्था में आवागमन तथा उसके प्रयोजन का अंकन अनिवार्य रूप से किया जाय।

6. संस्थाओं की वस्तुएं जैसे– फ्रिज, टी0वी0, राशन एवं अन्य सामग्रियों का व्यक्तिगत उपयोग किसी भी कर्मचारी द्वारा न किया जाय।

7. संवासियों/संवासिनियों की निर्धारित दिनचर्या का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय तथा संस्थाओं के कर्मचारियों को पृथक–पृथक रूप से लिखित रूप में कार्यों का निष्पादन करने के लिए उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण कराया जाय, जिससे किसी के भी कार्यक्षेत्र में कमी पाये जाने पर सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

8. संस्थाध्यक्ष द्वारा संवासियों/संवासिनियों के लिए तैयार किए गए भोजन की अनिवार्य रूप से स्वाद एवं गुणवत्ता की जॉच की जायेगी, तत्पश्चात् ही भोजन संवासियों/संवासिनियों को दिया जाय।

9. संस्था में रसोईया एवं सफाई व्यवस्था के लिए सर्विस प्रोवाईडर के माध्यम से एक–एक रसोईया एवं सफाई कर्मी तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाए। राजकीय बाल गृह (शिशु/बालिका) तथा महिला संस्था में उक्त कार्यों हेतु महिला कर्मी को ही लगाया जाय।

10. संस्थाओं के अंदर कर्मचारियों एवं संवासियों/संवासिनियों को धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का प्रयोग प्रतिबन्धित है। संस्थाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि समय–समय पर निरीक्षण कर संदिग्ध कर्मचारियों/संवासियों/संवासिनियों की तलाशी ली जाय। संस्था परिसर में धूम्रपान के सेवन में लिप्त कर्मचारियों को दण्डित किया जाय।

11. संस्था में आवासित संवासियों/संवासिनियों के साथ किसी भी कर्मचारी द्वारा अपशब्दों का प्रयोग कतई न किया जाय तथा उनका किसी भी प्रकार उत्पीड़न न किया जाय। किसी संवासी को मारने–पीटने जैसे घटना न होने पाए।

12. संवासियों/संवासिनियों को उनके माता–पिता/परिजनों से मुलाकात के नाम पर किसी प्रकार की अवैध धन की वसूली का प्रकरण संज्ञान में आने पर इस प्रकार के कर्मचारियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाय।

13. प्रत्येक संवासी/संवासिनी को उनके माता–पिता/ परिजनों की खोज एवं उनके घर तक पहुंचाने हेतु पुलिस का सहयोग लिया जाय।

14. संस्था में बच्चों की शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी कियाशील बनाया जाय, इसके लिए प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं/व्यवसाइयों से सहयोग प्राप्त कर नई ट्रेडों में प्रशिक्षण इत्यादि प्रारम्भ कराया जाय।

15. निरीक्षण के समय संवासियों / संवासिनियों के निरक्षर पाए जाने पर शिक्षण कार्य हेतु तैनात कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

16. समस्त संस्थाओं से सम्बन्धित थानाध्यक्षों एवं एल0आई0यू0 के माध्यम से निरन्तर संस्थाओं के संचालन पर कड़ी निगरानी रखी जाय। कोई भी असामान्य एवं आपत्तिजनक तथ्य सामने आने पर विधि सम्मत कार्यवाही करायी जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे इलाहाबाद में घटित घटना की पुनरावृत्ति पुनः न हो तथा इस प्रकार की संस्थाओं (सूची संलग्न) में रहने वाले बालकों / बालिकाओं / शिशुओं / महिलाओं को उचित संरक्षण एवं संरक्षण हो सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

9/4/2012.

(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव।

संख्या 1058 (1)/60–1–2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला कल्याण विभाग।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. पुलिस महा निदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. संबंधित प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
12. संबंधित अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी / जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0
14. समस्त अधीक्षक / अधीक्षिका, विभागीय संस्थायें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विमल चन्द श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।